भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 4031**

उत्तर देने की तारीख : 12.08.2026

**झारखंड के हज यात्री**

**4031. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान झारखंड राज्य के हज यात्रियों को हज यात्रा के लिए कोलकाता प्रस्थान स्थल से रवाना होने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके कारण उन्हें लंबी दूरी की यात्रा, अतिरिक्त खर्च और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने झारखंड से हज यात्रियों की संख्या, उनकी सुविधा और रांची विमानपत्तन पर उपलब्ध आवश्यक अवसंरचना के आधार पर रांची को प्रस्थान स्थल के रूप में पुनः अधिसूचित करने की संभावना की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त जांच/समीक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार का हज-2027 से झारखंड के हज यात्रियों के लिए रांची को प्रस्थान स्थल के रूप में पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव या योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**

**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) हज तीर्थयात्री देश में किसी भी अधिसूचित आरोहण स्थल का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हज आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय तीर्थयात्रियों को अपनी सुविधा तथा पिछले वर्ष के हवाई किराए को ध्यान में रखते हुए दो पसंदीदा आरोहण स्थलों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। झारखंड के हज तीर्थयात्रियों के लिए कोलकाता पारंपरिक रूप से सर्वाधिक पसंदीदा आरोहण स्थल रहा है।

(ख) से (घ): हज के लिए आरोहण स्थलों का निर्धारण विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जिनमें संबंधित राज्य से प्राप्त मांग, अंतरराष्ट्रीय यात्रा हेतु आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता, परिचालन व्यवहार्यता तथा हितधारकों के साथ परामर्श शामिल हैं। वर्तमान में, झारखंड के हज तीर्थयात्रियों के लिए रांची को हज आरोहण स्थल के रूप में प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

*****